राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 22900 दिनांक 06 मई, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा जिले में नोवल कोरोना वायरस **(COVID-19)** से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एव जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

इस कार्यालय में निम्न इकाईयों द्वारा आवेदन कर निवेदन किया है, कि लोहे के सरिये, चद्दर, एंगल आदि का व्यापार, जो निर्माण गतिविधियों एवं कृषकों के कार्य हेतु उपयोग में आते है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में होम डिलिवरी के लिए विक्रय की अनुमति दी जावे। इकाईयों के उपरोक्त प्रा0 पत्र के क्रम में निम्नलिखित इकाईयों एवं इनके निम्न वाहनों को निम्न शर्तो पर होम डिलिवरी हेतु संचालन की अनुमति जारी की जाती है :-

क्र0स0	इकाई का नाम	वाहन संख्या
1	मैसर्स भीलवाडा स्क्रेप स्पलायर्स	1 RJ 06 GB 0090 2 RJ 06 GB 9136 3 RJ 06 GB 5961
2	मैसर्स श्री चारभुजा ट्रेड लिंक प्रा0लि0	1 RJ 06 GA 5094 2 RJ 06 GB 3647 3 RJ 06 GA 7655
3	मैसर्स राजस्थान कॉमर्शियल हाउस भीलवाडा	1 RJ 06 GB 8900 2 RJ 06 GB 7209 3 RJ 06 GA 6916 4 RJ 06 GB 0986
4	मैसर्स श्रीनाथ ट्रेडर्स	1 RJ 06 GC 0609 2 RJ 06 GC 0466
5	मैसर्स बाबजी स्टील ट्रेडर्स	1 RJ 06 GC 4196 2 RJ 06 GC 5059 3 RJ 06 GC 4096
6	मैसर्स फकरी स्टील ट्रेडर्स	1 RJ 06 GC 5531 2 RJ 06 GC 1986 3 RJ 06 GC 3825

नोवल कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाईजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना करने पर उक्त अनुमति निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी की जाती है :-

1. प्रत्येक व्यक्तियो यथा कार्मिक/वाहन चालक, का कोविड-19 के संबध मे स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
2. Social Distance की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

-- 2--

04. उक्त प्रतिष्ठानो पर कार्यरत प्रबंधक/संचालक/स्टॉफ कर्मी/श्रमिक को फेस मॉस्क/सेनेटाईजर का उपयोग/लगाना तथा अनिवार्य होगा ।

05. प्रतिष्ठान प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त परिसर को विसंक्रमित करना अनिवार्य होगा। आम सतहों की बार–बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई की जानी होगी एंव इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

06. इकाईयों द्वारा सामग्री का विक्रय होम डिलिवरी द्वारा किया जायेगा।

07. प्रत्येक वाहन मे एक चालक एवं एक अन्य व्यक्ति ही अनुमत होगा।

08. इकाईयों द्वारा सामग्री का विक्रय ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।

09. उक्त व्यवस्था मे कार्यरत व्यक्तियो की संख्या कम से कम रखी जाना सुनिश्चित करे।

10. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियो को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रींनिग करवाई जाकर मेडिकल प्रोटोकॉल को फोलो किया जावेगा।

11. भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवॉयजरी एंव जिला स्तर से लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी ।

12. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार सभी व्यक्ति सामाजिक दुरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे, तथा सभी कार्यरत प्रबंधक/संचालक/ स्टॉफ कर्मी का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य किये जाने की अनुमति होगी।

13. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियो को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर कार्य स्थल से हटाया जाकर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिग करवाई जाकर प्रदत्त निर्देशो की पालना की जावे।

14. गुटखा तम्बाकू के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है। गुटखा तम्बाकू का विक्रय /सेवन/थूंकने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। इस संबध मे व्यावसायिक परिसर पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सूचना प्रदर्षित करनी होगी।

15. सभी कार्यरत प्रबंधक/संचालक/स्टॉफ कर्मी को आरोग्य सेतु ऐंप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा।

16. उक्त प्रतिष्ठानो पर कार्य हेतु भीलवाडा जिले के बाहर से श्रमिको का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।

17. कॉविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबधित प्रॉटोकोल को फोलो करते हुए एनक्सर I – II मे दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायो का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओ एवं "The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. **जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।**
02. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा

04. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाईजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के कम में समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।**
05. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
06. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
07. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
08. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
09. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा।
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
12. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
13. संबंधित इकाई **मैसर्स** ————————————————
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा